तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज श्रीमती गीता बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 88/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.20	अपीलार्थी श्रीमती गीता पत्नी ओमप्रकाश, पुत्री बंशीलाल निवासी 63, चाणक्य नगर, गायत्री नगर के पास, पाल रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.08.2019 में उसके द्वारा (1) मुझ प्रार्थीनी के सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 172 रकबा 3.7 बीघा ख.नं. 212 रकबा 11.10 बीघा, ख.नं. 214 रकबा 23.4 बीघा, ख.नं. 218 रकबा 23.14 बीघा वाके ग्राम हिंगोला, पटवार हलका जानादेसर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर के बाबत् दी जाने वाली मुआवजा राशि वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 व 2018–19 किसके बैंक खाते में डाली गई है उसका पूर्ण नाम व बैंक खाता, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी एवं तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है। तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी एवं तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावें अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2020.11.21 14:01:37 IST
Reason: SelfAttested